

प्रपत्र - 3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक /अ.मं.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

- 1 परियोजन का नाम : **765 KV D/C Raipur-Rajnandgaon-Warora Transmission Line**
- 2 आवेदक/आवेदक विभाग का नाम : **Director, Chhattisgarh WR Transmission Limited, C-105, Sambhav Building Judges Bungalow, Road Bodakdev, Ahmedabad- 380015**
- 3 गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग : **765 KV D/C Raipur-Rajnandgaon-Warora Transmission Line**
- 4 आवेदित क्षेत्र की स्थिति : जिला वनमंडल परियोजना स्थल
राजनांदगांव राजनांदगांव बाघनदी परिक्षेत्र
- 5 वन भूमि का विस्तृत विवरण : बाघनदी परिक्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित वनकक्ष क्रमांक
633, 657 रकबा 3.899 हे. राजस्व वनक्षेत्र 6.156 हैं.
कुल हे. 10.0555 हे.
(क) आरक्षित वन : निरंक
(ख) सीमांकित संरक्षित वन : 633, 657 रकबा 3.899 हे.
(ग) असीमांकित संरक्षित वन : निरंक
(घ) राजस्व वन क्षेत्र : 6.156 हैं
योग - : 10.0555 हे.
कुल योग - : 10.0555 हे.
- 6 आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार : स्थल गुण श्रेणी सघन वन घनत्व 0.5 से 0.6
- 7 आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण : सागौन, साजा, हर्रा, तेन्दू, बीजा, आम, पलास आदि
मिश्रित प्रजाति कुल वृक्ष की संख्या 2660
- 8 आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति : प्राकृतिक
- 9 आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./ वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें) : वन सीमा से लगा हुआ है।

- 10 क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील / वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें ।
- 11 आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे ।)
- 12 आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देवें ।

प्रमाण – पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा दिनांक 12.01.2016 को किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है । आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है । आवेदक संस्थान द्वारा वर्तमान परिदृश्य में को-आर्डिनेट प्लान के अनुसार बाघनदी परिक्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित वनकक्ष क्रमांक 633, 657 रकबा 3.899 हे. राजस्व वनक्षेत्र 6.156 हैं. कुल हे. 10.0555 हे. क्षेत्र के अंदर **765 KV D/C Raipur-Rajnandgaon-Warora Transmission Line** का कार्य वनकर्मचारियों के समक्ष किया जावेगा ।



वन मंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव